भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1836
16 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विशेष चिकित्सा पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन

1836. डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:
श्री प्रताप सिम्हाः
श्री डी.एम. कथीर आनन्दः
श्री अनुराग शर्माः
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः
डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रीजेनरेटिव मेडिसिन जैसी विशेष चिकित्सा सेवाओं में आनेवालीमांग को पूरा करने के लिए विशेष चिकित्सा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो चिकित्सा महाविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे विशेष पाठ्यक्रमों की सूची सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में कुल प्रवेश क्षमता सहित सरकारी और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा देश में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रीजेनरेटिव मेडिसिन की संख्या बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले विभिन्न सकारात्मक कदम क्या हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में अल्प सुविधा क्षेत्रों/लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वास्थ्यक्षेत्र को अधिक वित्तीय आवंटन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): जैसा कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा सूचित किया गया है, आयोग विशेष पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों और आवश्यकता के आधार पर देश में विशेष चिकित्सा पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देता है।सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सहित 47 सुपर स्पेशियलिटी कोर्स हैं। विवरण अनुलग्नक-I पर हैं। वर्ष 2014 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 387 थी जो अब 67% बढ़कर 648 तक पहुंच गई है। इसके अलावा वर्ष 2014 में एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 थी जो अब 87% बढ़कर 96077 तक पहुंच गई है और पीजी सीटों की संख्या वर्ष 2014 में 31185 थी जो अब 105% बढ़कर 64059 हो गई है। इसके अतिरिक्त, पीएमएसएसवाई के तहत, आंतरिक देखभाल सहायता बढ़ाने और देश में स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है।

कुल एमबीबीएस सीटों और पीजी सीटों के साथ मेडिकल कॉलेजों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची अनुलग्नक-II में रखी गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि दूरस्थ और अल्पसेवितक्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित,अल्पसेवितक्षेत्रों सहित पूरे देश में समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जा सके। जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में नि:शुल्क दवा और नि:शुल्क निदान पहलआवश्यक दवाएं और निदान निःशुल्क प्रदान करती है।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत, सरकार व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएचसी) के प्रावधान के लिए देश भर में उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने के लिए राज्यों की सहायता कर रही हैजिसमें सतत परिचर्या दृष्टिकोण के साथ सामुदायिक स्तर पर निवारक स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है। इसके अलावा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत सामजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के अनुसार लगभग 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

अनुलग्नक-I

डी.एम. (डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन) कोर्स -31

(कार्डियोलॉजी, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, नैदानिक औषध विज्ञान, एंडोक्राईनोलॉजी, मेडिकलगैस्ट्रोएंटरोलॉजी, चिकित्सा आनुवंशिकी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, न्योनैटॉलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो-रेडियोलोजी, पलमोनरी चिकित्सा, बाल और किशोर मनोरोग, पेडियाट्रिक्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी,पेडियाट्रिक्स कार्डियलजी, कार्डिएक एनेस्थीसिया, हीपैटोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया औरक्रिटिकल केयर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पेडियाट्रिक हेपेटोलॉजी, न्यूरो एनेस्थीसिया, पेडियाट्रिक्स नेफ्रोलॉजी, संक्रामक रोग, वायरोलॉजी, पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, जराचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स और नवजात एनस्थीसिया, इन्टरवेंशनल रेडिओलॉजी, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रुमेटोलॉजी,ओंको-पैथोलॉजी, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी)

एम.सी.एच. (मास्टर ऑफ चिरुर्गी) कोर्स-16

(कार्डियो वैस्कुलर थोरैसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक्स सर्जरी, प्लास्टिक रिकन्सट्रक्टिव सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एंडोक्राइन सर्जरी, स्त्री रोग ऑन्कोलॉजी, एंडोक्राइन सर्जरी, पेडियाट्रिक कार्डियो थोरैसिक वैस्कुलर सर्जरी, हेपाटो-पैनक्रिएटो-बिलियरी सर्जरी, हाथ कीसर्जरी, सिर और गर्दन की सर्जरी, प्रजनन चिकित्सा और सर्जरी, पेडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स)

अनुलग्नक-II

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए देश में सरकारी या निजी क्षेत्र के तहत कॉलेजों(एम्स और जिपमेर सहित) और एमबीबीएस और पीजी सीटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कॉलेजों की संख्या	एमबीबीएस की कुल सीटें	पीजीसीटें		
				एमडी/एमएस/डिप्लोमा सीटें (कुल)	डीएम/एमसीएच सीटें (कुल)	पीजी सीटें (कुल)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	100	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	32	5485	2650	157	2807
3	अरुणाचल प्रदेश	1	50	0	0	0
4	असम	10	1250	683	55	738
5	बिहार	20	2415	1079	60	1139
6	चंडीगढ़	1	150	460	105	565
7	छत्तीसगढ	14	1765	521	37	558
8	दादरा और नगर हवेली	1	150	0	0	0
9	दिल्ली	10	1497	2165	703	2868
10	गोवा	1	180	117	14	131
11	गुजरात	36	6200	2306	126	2432
12	हरियाणा	13	1760	706	23	729
13	हिमाचल प्रदेश	8	920	335	7	342
14	जम्मू और कश्मीर	10	1147	567	41	608
15	झारखंड	9	930	252	11	263
16	कर्नाटक	67	10745	5523	461	5984
17	केरल	32	4355	1586	264	1850
18	मध्य प्रदेश	25	4080	1834	79	1913
19	महाराष्ट्र	63	9995	5297	380	5677
20	मणिपुर	4	475	236	5	241
21	मेघालय	1	50	33	2	35
22	मिजोरम	1	100	0	0	0
23	ओडिशा	15	2325	1029	139	1168
24	पुदुचेरी	9	1630	869	58	927
25	पंजाब	12	1750	718	36	754
26	राजस्थान	30	4405	2543	330	2873
27	सिक्किम	1	0	34	0	34
28	तमिलनाडु	71	10825	4159	671	4830
29	तेलंगाना	41	6040	2477	175	2652
30	त्रिपुरा	2	225	85	0	85
31	उत्तर प्रदेश	67	9053	3509	263	3772
32	उत्तराखंड	8	1150	1230	581	1811
33	पश्चिम बंगाल	32	4725	1801	203	2004

***1621** सीपीएस सीटों और **12,648** डीएनबी/एफएनबी सीटों को छोड़ कर

*****